# कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर

**प्रशासनिक आदेश संख्या 51 /2023**

**आदेश**

आज दिनांक 22.02.2023 को जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बलरामपुर में लम्बित मुकदमा संख्या-1415/21/2019 सरकार बनाम हामिद अली, अन्तर्गत धारा 504,506 भा0द0सं0, थाना पचपेड़वा, बलरामपुर में अभियुक्त हामिद अली को गिरफ्तार कर दिनांक 06.02.2023 को रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पाया गया कि उक्त मामले में अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र दिनांकित 04.02.2023 पर न्यायालय की मुहर अंकित है, परन्तु सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं बने हैं। रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 06.02.2023 को सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी समक्ष सुनवाई हेतु अभियुक्त को उपस्थित आने की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया।

उक्त मामले मे सुनवाई हेतु अभियुक्त हामिद अली दिनांक 08.02.2023 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज (जू0डि0), बलरामपुर के समक्ष पेश हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा पाया गया कि मुकदमा संख्या-1415/21/2019 सरकार बनाम हामिद अली में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना जारी गैर जमानतीय अधिपत्र में धारा 504, 506 भा0दं0सं0 का उल्लेख है, जबकि उक्त पत्रावली धारा 419,420 भा0दं0सं0 से सम्बंधित है।

किन परिस्थितियों में उक्त न्यायालय में नियुक्त फौजदारी लिपिक कु0 पूर्णिमा पाण्डेय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र में धारा 419, 420 भा0दं0सं0 के स्थान पर 504,506 भा0दं0सं0 का उल्लेख करते हुए बिना पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के सम्बंधित पैरोकार को प्राप्त कराया गया, जांच का विषय है। मेरी राय में उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक जांच कराया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त प्रकरण में कु0 पूर्णिमा पाण्डेय, फौजदारी लिपिक, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज (जू0डि0), बलरामपुर के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच संस्थित करते हुए सुश्री शशि गौतम, प्रथम अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/जे0एम0, बलरामपुर को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में जांच के उपरान्त आख्या एक माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांकः-22.02.2023

Lallu Singh 22/2/23

(लल्लू सिंह)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर

Self attested
Gautam